


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

पुनरीक्षण क्र०-R.5024-7/15-16



396

R-201-

R.5024-7/16

- 1- ददोली कुशवाहा पिता नर्बदा कुशवाहा
- 2- रामदास पिता भूरा चमार
- 3- रामाश्रय पिता विश्राम चमार
- 4- रामायण पिता बडकाई गडारी सभी निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०.....निगराकारगण बनाम

- 1- अशोक कुमार कुशवाहा पिता झल्लू कुशवाहा निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०
- 2- म०प्र०राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल मझगवां जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक प्रभारी वृत्त मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना के प्र०क्र०-36ए12/14-15 में पारित सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 22/06/15 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कारीगोही प०ह०कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना स्थित आराजी नं०-249, 245 म०प्र०शासन के नाम दर्ज कागजात रहा है जिसका अंश अंश रकवा निगराकारगण एवं अन्य के पक्ष में वर्ष 1982 में आबंटित किया गया था तथा मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नाप कर क्षेत्रफल बताया गया था जिस पर निगराकारगण का बिज

नं० 370
ददोली
कुशवाहा

रामदारा

नि०प्र० रामाश्रय

नं० 370
रामायण

272

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 5024- 41/16जिला.....सरना.....

.....ददोली कुशावाहा वार्ड..... विरुद्ध..... अशोक कुशावाहा.....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...सतोष लीवास्तव..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त प्रकृष्णा तहसील...मधुगञ्ज.....के प्रकरण क्रमांक 36/37/12/14-15.....में पारित आदेश दिनांक 22-6-15.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर...सरना.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19.....को कलेक्टर...सरना.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">W सदस्य</p>	